राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

स्पेशल अपील/एल.आर./2853/2003/हनुमानगढ

रामप्रताप पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी चक 9 एस पी डी तहसील व जिला हनुमानगढ

....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. पप्पूराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी 13 के.एस.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ

...रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक अपीलांट
श्री ओमप्रकाश भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक
श्री प्रदीप नेहरा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

दिनांक : 3.2.2021

निर्णय

यह स्पेशल अपील मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा अपील/एलआर/83/2001/हनुमानगढ में पारित निर्णय दिनांक 4–2–2003 के विरूद्ध धारा 10 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पक्ष में किये गये 15 बीघा भूमि के आंवटन को निरस्त कराने हेतु रेस्पो.सं.2 ने एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिलाधीश हनुमानगढ के समक्ष धारा 11 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अतिरिक्त जिलाधीश हनुमानगढ ने अपने आदेश दिनांक 29–9–2000 द्वारा अपीलांट के आवंटन को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने निर्णय दिनांक 16–4–2001 द्वारा स्वीकार करते हुए अतिरिक्त जिलाधीश के आदेश दिनांक 29–9–2000 को निरस्त कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 16–4–2001 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को मण्डल की माननीय

एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 4–2–2003 द्वारा स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 16–4–2001 को निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह स्पेशल अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि संयुक्त अन्य खसरा नंबरान, जिनका कि कुल रकबा 180 बीघा है, आवंटन अधिकारी के आदेश दिनांक 25–6–80 को पंजीकृत मदनमोहन कृषि सहकारी समिति लिमिटेड पन्नीवाली को आवंटन हुई। उपरोक्त आराजी के खातेदारी अधिकारों का अवसायन कृषि सहकारी समिति में होने पर सहकारी समिति द्वारा धारित कृषि भूमि अपीलांट के साथ अन्य व्यक्तियों को आवंटन कर दी गई, जिसमें अपीलांट को भी 15 बीघा भूमि आवंटन की गई। अपीलांट के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु रेस्पो.सं.2 द्वारा धारा 11 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त जिलाधीश हनुमानगढ ने अपने आदेश दिनांक 29–9–2000 द्वारा चक नं. 13 केएसपी (बी) के प.नं. 146/322 कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 16, 147/322 कि.नं. 1–2, 9 ता 12, 20–21= 3–795 हेक्टर(15 बीघा) भूमि के आवंटन को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने निर्णय दिनांक 16–4–2001 द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–9–2000 को निरस्त कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 16–4–2001 के विरूद्ध रस्पो.सं.1 राज्य सरकार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई, जो आक्षेपित निर्णय दिनांक 4–2–2003 द्वारा स्वीकार की गई। उनका तर्क है कि माननीय न्यायालय के समक्ष रेस्पे.सं.1 की अपील संधारण योग्य नहीं थी। चूंकि रेस्पो.सं.1 ने आवंटन अधिकारी के आवंटन आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिलाधीश के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की। राज्य सरकार ने अतिरिक्त जिलाधीश के समक्ष अपीलांट के आवंटन की पुष्टि की थी। माननीय एकल पीठ के समक्ष अपीलांट की ओर से अपील की संधारणता पर एवं रेस्पो.सं.1 के लोकस स्टेण्डी बाबत बिन्दु उठाया था किन्तु माननीय एकल पीठ ने इस बिन्दु को निर्णित ही नहीं किया। रेस्पो.सं. 2 का प्रार्थना पत्र धारा 11 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम भ्रामक था। केवल उस प्रार्थना पत्र के कथनों को ही ध्यान में रखकर राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपना निर्णय पारित किया था और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय एकल पीठ को अपना निर्णय देना था किन्तु माननीय एकल पीठ ने द्वितीय अपील के क्षेत्राधिकार से परे जाकर रेस्पो.सं.1 की अपील स्वीकार कर ली। उनका यह भी तर्क है कि अतिरिक्त जिलाधीश ने जब समिति का

अवसायन होना माना, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिलाधीश को कृषि सहकारी समिति को आवंटित भूमि एवं उसके बाद अन्य लागों को हुए आवंटन की वैधता को एक साथ देखते हुए आदेश पारित करना चाहिये था। माननीय एकल पीठ ने इस आशय का आदेश अपील में पारित किया है किन्तु माननीय एकल पीठ ने अपीलांट के पक्ष में हुए आवंटन के निरस्ती के आदेश को यथावत रखते हुए दिया है, जिसे सही नहीं कहा जा सकता है। जब सम्पूर्ण प्रकरण ही अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा देखा जाना है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए था। उनका यह भी कथन है कि रेस्पो.सं.2 ने अपीलांट के पिता को 46 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्से का खातेदार माना है। अपीलांट ने उसके पिता के पास धारित कृषि भूमि उसकी स्वअर्जित होना बताया है। यदि अपीलांट के पिता के पास पैतृक भूमि भी मानी जावे तो भी अपीलांट या उसके भाई के नोशनल हिस्से को देखते हुए अपीलांट इस हिस्से को रखने का अधिकारी था। साथ ही अतिरिक्त जिलाधीश को आवंटन नियम 1959 के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय पारित करना चाहिये था, जो नहीं किया गया। अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति रेस्पो.सं. 2 के प्रार्थना पत्र धारा 11 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता था। अतिरिक्त जिलाधीश ने धारा 11 के क्षेत्र से परे जाकर आदेश पारित किया है जिसकी पुष्टि माननीय एकल पीठ द्वारा की गई है, जो पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः स्पेशल अपील स्वीकार की जाकर माननीय एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–2–2003 निरस्त किया जावे तथा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 16–4–2001 को यथावत रखा जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन सहकारी समितियों को भूमि आवंटन नियम 1959 के तहत केवल भूमिहीन व्यक्तियों को ही आवंटन किया जा सकता है और वह भी तब जब वे संबंधित गांव के निवासी हो एवं एक सहकारी समिति बना लेवें। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ण परीक्षणोपरांत यह पाया कि अपीलांट का जन्म आवंटन के पश्चात हुआ है ऐसी स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किये जाने योग्य था जिसे सही रूप से निरस्त किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी ने केवल कयास के आधार पर अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए उसके आवंटन बहाल रखा, जो मनमाना एवं त्रटिपूर्ण था एवं जिसे माननीय एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 4–2–2003 द्वारा सही रूप से निरस्त किया है। अंत में उन्होंने माननीय एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 4–2–2003 को पूर्णतया विधि सम्मत बताते हुए स्पेशल अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ने तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवा लिया था। जब सहकारी समिति बनी थी उस समय अपीलार्थी का जन्म ही नहीं हुआ था तो उसे कृषि भूमि का आवंटन कैसे हो सकता है। अपीलार्थी ने अपनी जन्म तिथि बाबत कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि उसकी जन्म तिथि 15–3–1961 है। सहकारी समिति का गठन 1960 में हुआ था और अपीलार्थी का जन्म ही 1961 में हुआ था तो वह सहकारी समिति का सदस्य कैसे हो सकता है। तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट भी पत्रावली में संलग्न है जिसमें बताया गया है कि अपीलार्थी की जन्म तिथि 15–3–1961 है। राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन) नियम 1959 के नियम 5 (7) के अनुसार आवंटी को खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः यदि अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे तो वे विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय हैं। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ ने विस्तृत निर्णय पारित किया है जो कि विधिसम्मत व न्यायसंगत है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ का निर्णय त्रुटिपूर्ण था जिसे माननीय राजस्व मण्डल ने निरस्त कर दिया और प्रकरण को पुनः जॉच के लिये विचारण न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दिया। उक्त निर्णय विधिसम्मत है। स्पेशल अपील में कोई सारभूत तथ्य नहीं है इसलिये यह स्पेशल अपील निरस्तनीय है।

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी को राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन) नियम 1959 के अन्तर्गत 15 बीघा भूमि आवंटित की गई थी और जिस पर खातेदारी अधिकार भी प्रदान कर दिये गये थे। प्रथमदृष्ट्या ये खातेदारी अधिकार नियम विरूद्ध तरीके से प्रदान किये गये थे। उक्त नियमों के नियम 5 (7) में प्रावधान है कि–

"No Individual khatedari or Gair khatedari rights shall accrue in the allotted land to any member of the co-operative society."

इस प्रकार उक्त प्रावधान के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते थे लेकिन प्रदान कर दिये गये जिनको अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा सही तरीके से निरस्त कर दिया गया।

9. तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ के पत्र क्रमांक भू.अ./96/18/96/2742 दिनांक 28–6–96 के साथ एक रिपोर्ट पटवारी हलका मुण्डा A संलग्न है जिसमें निम्न अंकित है–

> ''श्रीमान जी, निवेदन है कि चक 13KSP 'B' में एक मदन मोहन कृषि सहकारी समिति लि0 पन्नीवाली के नाम से 37–697 हैक्टर नहरी (180 बीघा) पु0आ0थी बाद में समिति के सदस्यों ने इसकी पूर्व किस्ते अदा कर दी तो श्रीमान जिला0महो0 श्रीगंगानगर द्वारा सनद नं. 24185 दि01–8–83 को जारि की। उक्त समिति को खातेदारी अधिकार मिल गये। इस वक्त जमाबंदी में मदन मोहन कृषि सहकारी समि0लि0 पन्नीवाली खातेदार दर्ज है। उक्त समिति की भूमि में एक रामप्रताप s/o हीराराम जाति जाट सा0 13 KSP भी है। समिति के लेजर बुक में रामप्रताप s/o हीराराम के नाम हिस्सा दि0 12–8–60 दर्ज है और रा0मा0वि0 मुन्डा के प्रधानाध्यापक का एक प्रमाण पत्र दिया है उसमें रामप्रताप s/o हीराराम का जन्म दि015–3–61 लिखा है। चक 13KSP 'B' के प.नं. 146/322 कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 16 मु.नं. 147/322 कि. 1–2–9 ता 12–20–21 कुल 3–795 है0 (15 बीघा) नहरी भूमि मदन मोहन कृषि सहकारी समि0लि0 पन्नीवाली के नाम से खातेदारी है उक्त भूमि पर रामप्रताप s/o हीराराम जाति जाट समि0 का सदस्य है का कब्जा है। उक्त भूमि 15 बीघा रामप्रताप s/o हीराराम ने करीबन दस, बारह साल से काश्त नहीं कर रहा है। रामप्रताप s/o हीराराम जाट चक 13KSP 'B' में करीबन दस, बारह साल से निवास नहीं कर रहा है और उक्त 15 बीघा भूमि काश्त नहीं करता है। इस वक्त रामप्रताप अपने पिता हीराराम के साथ चक 9 S.P.D. तह0 रावतसर में 50 बीघा भूमि है। उक्त 15 बीघा भूमि को रामप्रताप खुद काश्त नहीं करता है। ठेके पर देता है। रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवामें पेश है।''

10. उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट है कि सहकारी समिति के लेजर बुक में रामप्रताप s/o हीराराम के नाम हिस्सा दि0 12–8–1960 दर्ज है जबकि विद्यालय के प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलार्थी की जन्म तिथि 15–3–1961 अंकित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब सहकारी समिति का गठन हुआ था तब अपीलार्थी का जन्म भी नहीं हुआ था। इस प्रकार अपीलार्थी को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध था जिसे विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ ने निरस्त कर सही निर्णय पारित किया था। राजस्व मण्डल की एकल पीठ के निर्णय दि04–2–2003 में निम्न अंकित है–

> ''9. दोनों पक्षों की ओर से इस प्रकरण में यह अविवादित है कि मूल आवंटन सहकारी समिति को 1960 में किया गया था एवं इस समिति का अवसायन हो चुका है। इस तथ्य को भी प्रत्यर्थी पक्ष ने नकारा नहीं है कि आवंटी समिति के अभिलिखित सदस्यों में प्रत्यर्थी का नाम नहीं है। ऐसी सूरत में हम मूल रूप से अपील स्वीकार योग्य पाते हैं क्योंकि प्रकरण में रामप्रताप प्रत्यर्थी के पक्ष में आवंटन अथवा कब्जा बरकरार रखने का कोई विधिक कारण हमारे सामने नहीं है। साथ ही उपरोक्त निष्कर्ष को मध्य नजर रखते हुये

विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि इस प्रकरण में सहकारी समितियों को भू आवंटन नियम 1959 के नियम 5 (4) के तहत विधिक रूप से सहकारी समिति के सभी सदस्यों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर एवं आवश्यक जॉच सम्पन्न कर सन्दर्भित भूमि को बहक सरकार करने अथवा नहीं करने बाबत उचित निर्णय पारित किया जावे।''

11. स्पेशल अपील में जो बिन्दु उठाये गये हैं, उनके संबंध में पूर्व के निर्णयों में विवेचन किया जा चुका है। कोई नया बिन्दु नहीं उठाया गया है। जहॉ तक अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी के पिता की 46 बीघा भूमि स्वअर्जित भूमि है के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे उक्त तथ्य की पुष्टि हो सके। अतः उक्त आपत्ति सारहीन होने के कारण निरस्तनीय है।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हम इस स्पेशल अपील में कोई ठोस व सारभूत तथ्य नहीं पाते हैं। यह अपील निराधार एवं सारहीन होने के कारण निरस्तनीय है। अतः यह स्पेशल अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड वापस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द कुमार पुरोहित)
सदस्य

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य